14-5-18 आज P.O. ला. कैम्प कोर्ट में व्यस्त होने से जनरल ता. दी गई मत आदेशों की पालना में दिनांक 23/7/18 को पेश हो

राजस्थान लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

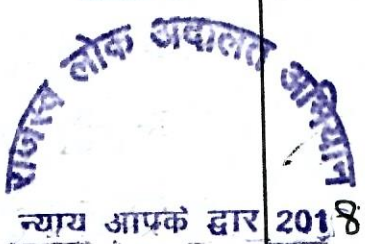

18.5.18	पत्रावली राजस्थान लोक अदालत कैम्प कोर्ट दरेड़ाग्राम में पेश हुई। प्रार्थी नाथूलाल एवं अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 रामलिंग एवं गंगा सहाय कैम्प कोर्ट में उपस्थित। उभय पक्षों को कैम्प कोर्ट में बुलाया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा सुनवाद	अ.नि. नाथूलाल अ.नि. रामलिंग अ.नि. गंगासहाय

टोंक

नि. नाथूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म के ... में जा...
	का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण मूलवाद अधिघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय से अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खेरवाल स्थित ख.नं. 934/0.51, 1537/0.49, 1539/0.58, 1553/1.78, 1554/0.30 तथा 1555/0.76 कुल किता 6 कुल रकबा 4.12 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नाजिर से कर के तथा बाद तकमील प्रविष्टि लेख भण्डार हो एवं मूलवाद के संलग्न हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खेरवाल के समक्ष आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर टोंक	